

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन
01 JAN 2013
बिहार, पटना

पत्र सं०-अ०पा०-143/10.....1322/वि०,
बिहार सरकार
वित्त विभाग

उदय सिंह कुमावत,
सचिव(व्यय)।

सेवा में,

हा०बी०राजेन्डर,
अपर मिशन जिदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-28.12.2012

विषय : लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत दण्ड रूप में प्राप्त राशि को जमा करने हेतु निर्धारित शीर्ष/उपशीर्ष के संबंध में।

प्रसंग : बि०प्र०सु०मि०सो०/विधि-21/2011 सो.-1140 दिनांक-17.12.12.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग पत्र के कम में कहना है कि बिहार लोक सेवा का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत निदिष्ट प्रावधान के अनुरूप दण्ड के रूप में वसूली की जाने वाली राशि को सरकारी कोष में जमा करने हेतु वरीय लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना के पत्र सं०-टी०एम०-उपशीर्ष-(12-13)-1214 दिनांक-26.10.12 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-60 अन्य सेवाएं, लघुशीर्ष-800-अन्य प्राप्तिर्यों के अन्तर्गत उपशीर्ष-0027-बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत दण्ड वही राशि खोलने में सहमति प्रदान की है। इस निमित्त बालान के माध्यम से उपर्युक्त बजट शीर्ष-आर०-0070608000027 में राशि अंकित कर कोषागार में बालान पारित कराते हुए बैंक में जमा किया जायेगा। महालेखाकार कार्यालय, बिहार द्वारा खोले गये उपशीर्ष की प्रति विभागीय ज्ञाप सं०-1171 दिनांक-14.11.12(छायाप्रति संलग्न) द्वारा कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार बिहार को उपलब्ध करा दी गयी है।

अनु० : यथोक्त।

बजट/अरविन्द/1739

विश्वासभाजन

(उदय सिंह कुमावत)

सचिव(व्यय)।

28.12.12

V. Sub
2/4

2503/AMJ
31.12.12

02
01/01/2013

1148